राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(कार्यालय-बायोफ्यूल प्राधिकरण)

(तृतीय तल, बी-ब्लॉक, योजना भवन, सी-स्कीम, जयपुर, फोन :2224754 2224755,
E-mail: biofuelraj@rajasthan.gov.in

क्रमांक प 11(2)RD / BFA / NNBOMP / RGAVP / 2020-21 / 2897 दिनांक: 26.11.2020

विज्ञप्ति

बायोगैस टर्न की वर्कर, ग्रामीण ऊर्जा तकनीशियन, बायोगैस मित्र एवं बायोगैस मिस्त्रियों का पंजीकरण

नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं आर्गेनिक मेन्योर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु संदर्भ व्यक्तियों का जिलेवार पैनल बनाये जाने एवं भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 30.05.2018 में बायोगैस संयंत्रो के निर्माण हेतु अनुमत प्रक्रिया "टर्न की जॉब स्कीम-2" के आधार पर योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य नोडल एजेन्सी, खादी एवं विलेज इन्डस्ट्रीज कमीशन, बायोगैस डवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर अथवा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानो से प्रशिक्षित एवं पंजीकृत बायोगैस टर्न की वर्कर, ग्रामीण ऊर्जा तकनीशियन, बायोगैस मित्र एवं बायोगैस मिस्त्रियों के इस विभाग में पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। पंजीकरण की पात्रता, अनुभव, शर्तें पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र तथा अन्य संबधित विवरण बायोफ्यूल प्राधिकरण की वेबसाइट **WWW.biofuel.rajasthan.gov.in** पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन कार्यालय बायोफ्यूल प्राधिकरण जयपुर में व्यक्तिश अथवा डाक द्वारा जमा कराये जा सकते है।

सी.ई.ओ. एवं परि.निदेशक
बायोफ्यूल प्राधिकरण पदेन
संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

राज.संवाद / सी / 20 / 7172

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(कार्यालय–बायोफ्यूल प्राधिकरण)

(तृतीय तल, बी–ब्लॉक, योजना भवन, सी–स्कीम, जयपुर, फोन :2224754, 2224755 E-mail: biofuelraj@rajasthan.gov.in.

नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं आर्गेनिक मेन्योर कार्यक्रम के अन्तर्गत बायोगैस टर्न की वर्कर, ग्रामीण ऊर्जा तकनीशियन, बायोगैस मित्र एवं बायोगैस मिस्त्रियो के पंजीकरण हेतु अनुदेश

बायोफ्यूल प्राधिकरण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर योजना नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं आर्गेनिक मेन्योर कार्यक्रम का राज्य में क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के दिशानिर्देश में वर्णित टर्न की जॉब स्कीम 2 के आधार पर राज्य में बायोगैस संयंत्रो के निर्माण की प्रक्रिया को आरम्भ करने के प्रयोजन से राज्य नोडल एजेंसी/खादी एवं विलेज इण्डस्ट्रीज कमीशन/बायोगैस डवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर/नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानो के द्वारा प्रशिक्षित संदर्भ व्यक्तियों का जिलेवार पैनल बनाये जाने के लिए प्रशिक्षित बायोगैस टर्न की वर्कर, ग्रामीण ऊर्जा तकनीशियन, बायोगैस मित्र एवं बायोगैस मिस्त्रीयों आदि संदर्भ व्यक्तियों से इस विभाग में पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

बायोगैस टर्न की वर्कर, ग्रामीण ऊर्जा तकनीशियन बायोगैस मित्र एवं बायोगैस मिस्त्री के रूप में इस विभाग में पेंजीयन हेतु इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर अपना पंजीयन इस विभाग में करा सकते है। पंजीयन की प्रक्रिया नवीन राष्ट्रीय बायोगैंस एवं आर्गेनिक मेन्योर कार्यक्रम के क्रियान्वयन अवधि में सतत् रूप से चालू रहेगी।

पंजीकरण हेतु अनुदेश

1. राज्य नोडल एजेंसी/खादी एवं विलेज इण्डस्ट्रीज कमीशन/बायोगैस डवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर/नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानो के द्वारा प्रशिक्षित संदर्भ व्यक्ति ही आवेदन के पात्र होगे।
2. आवेदक द्वारा उसी संदर्भ सेवा के पंजीकरण हेतु आवेदन किया जायेगा, जिसका प्रशिक्षण बिन्दु संख्या 1 में वर्णित संस्थानों से प्राप्त किया गया है।
3. आवेदन पत्र के सभी बिन्दुओ की पूर्ण सूचना मय आवश्यक दस्तावेजों के उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक के बायोफ्यूल प्राधिकरण में पंजीयन उपरांत, नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं आर्गेनिक मेन्योर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कार्य आवंटन की स्वीकृति बायोफ्यूल प्राधिकरण एवं पंजीकृत बायोगैस टर्न की वर्कर/ग्रामीण ऊर्जा तकनीशियन/बायागैस मित्र के मध्य करार के निष्पादन के अधीन होगी।
5. नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं आर्गेनिक मेन्योर कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य आवंटन की स्थिति में पंजीकृत बायोगैस टर्न की वर्कर/ग्रामीण ऊर्जा तकनीशियन/बायोगैस मित्र को टर्न की जॉब फीस का भुगतान योजना के निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा।
6. पंजीकरण के उपरांत कार्य आवंटन की अन्य शर्ते नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं आर्गेनिक मेन्योर कार्यक्रम हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुरूप होगी।

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(कार्यालय–बायोफ्यूल प्राधिकरण)

(तृतीय तल, बी–ब्लॉक, योजना भवन, सी–स्कीम, जयपुर, :2220672, 5188104 फैक्स नं.:2224754] E-mail: biofuelraj@yahoo.co.in.

बायोगैस टर्न की वर्कर, ग्रामीण ऊर्जा तकनीशियन, बायोगैस मित्र एवं बायोगैस मिस्त्रियों के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र	आवेदक की स्व हस्ताक्षरित नवीनतम फोटो

(अ) आवेदक के संबंध में सूचनाएँ

क्र. स.	सूचना	विवरण
1.	**संदर्भ सेवा जिस हेतु आवेदक पंजीकृत होना चाहता है**(बायोगैस टर्न की वर्कर/ग्रामीण ऊर्जा तकनीशिन/बायोगैस मित्र/बायोगैस मिस्त्री)	
2.	आवेदक का नाम	
3.	आवेदक के पिता का नाम	
4.	आवेदक की जन्म तिथि	
5.	आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करे)	
6.	आवेदक का वर्ग (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति) (जाति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करे)	
7.	आवेदक की आधार कार्ड संख्या (स्व प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करे)	
8.	आवेदक की जन आधार/भामाशाह कार्ड संख्या (स्व प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करे)	
9.	आवेदक का वर्तमान व्यवसाय विभाग / संस्था का नाम जिसमे आवेदक नियोजित है। नियोक्ता के प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करें	
10.	क्या आवेदक राजस्थान का मूल नागरिक है। (मूल नागरिक प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करे)	हाँ/नही
11.	आवेदक का पत्राचार हेतु पता	
12.	आवेदक का स्थाई पता	

13.	आवेदक का मोबाइल नंबर/टेलीफोन न. ई–मेल यदि हो तो	
14.	आवेदक कें बैंक खाते का विवरण (रद्द चैक की प्रति संलग्न करे):	खाता संख्या : .... बैंक का नाम : .... बैंक की शाखा का नाम : .... बैंक का IFSC Code : ....

(ब) बायोगैस टर्न की वर्कर/ग्रामीण ऊर्जा तकनीशिन/_बायोगैस मित्र_/बायोगैस मिस्त्री हेतु प्राप्त प्रशिक्षण से संबंधित सूचना

1.	प्रशिक्षण का नाम (प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करें)	
2.	संस्था का नाम जिसके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।	
3.	प्रशिक्षण प्राप्ति वर्ष	
4.	प्रशिक्षण की अवधि	

(स) प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत निर्मित कराये गये बायोगैस संयंत्रो की सूचना

		वर्ष	बनवाये गये संयंत्रो की संख्या संयंत्रो का मॉडल एवं संयंत्रो की क्षमता		
1.	वर्षवार बनवाये गये संयंत्रो की संख्या संयंत्रो का मॉडल/प्रकार एवं संयंत्रो की क्षमता (घन मीटर मे)		संख्या	मॉडल/प्रकार	क्षमता

2.	संस्थान/विभाग का नाम जिसकी और से संयंत्रो का निर्माण कराया गया (वर्षवार कार्य आदेश की स्व प्रमाणित फाटो प्रति संलग्न करें)।	
3.	ग्राम, ग्राम पंचायत प. स. का विवरण जहां संयंत्रो का निर्माण किया गया।	
4.	कार्य की गुणवत्ता/ कार्य संपादन नही करने के आधार पर यदि ब्लेक लिस्ट किया गया है तो उसका विवरण	
	(1) संस्था/विभाग जिसके द्वारा ब्लेक लिस्ट किया गया।	
	2) ब्लेक लिस्ट किये जाने का वर्ष	
	3) ब्लेक लिस्ट किये जाने का कारण	

आवेदक द्वारा घोषणा

मै यह प्रमाणित करता हु कि

I. आवेदन पत्र में मेरे द्वारा उल्लेखित विवरण मेरी सर्वोत्तय जानकारी के अनुसार सहीं है एवं मेरे द्वारा किसी भी तथ्य का छुपाया नही गया है।

II. विभाग द्वारा नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं आर्गेनिक मेन्योर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु टर्न की जॉब स्कीम 2 की निर्धारित शर्तो के अनुरूप कार्य करने के लिए अपनी सहमति देता हुँ।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर
मय नाम